प्रेस विज्ञप्ति
14.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मंगलुरु उप-आंचलिक कार्यालय ने बहु-राज्यीय एवं कई करोड़ रुपये की अस्थिर पोंजी-शैली योजना से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है। शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत 13.08.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मंगलुरु के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उन्हें 24.08.2026 तक 12 दिनों की अवधि के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। वह एम/एस शिवम एसोसिएट्स के धन के प्रवाह का प्रबंधन करने वाले "संपूर्ण एवं एकमात्र" व्यक्ति हैं।

ईडी ने यह जांच बर्निंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019 तथा कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2004 के अंतर्गत बेलगावी शहर के मालामारुति पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आम जनता को असामान्य रूप से अधिक एवं सुनिश्चित प्रतिफल का आश्वासन देकर धनराशि निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।

जांच के दौरान ईडी ने **एम/एस शिवम एसोसिएट्स द्वारा अपने बहुसंख्यक साझेदार शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर के प्राथमिक नियंत्रण में संचालित एक अत्यंत सुव्यवस्थित, बहु-राज्यीय पोंजी योजना** का पता लगाया है। पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत की गई जांच से पता चला है कि साझेदारी फर्म ने प्रतिमाह 3% की अत्यधिक दर से प्रतिफल देने का झूठा वादा करके सार्वजनिक निवेशकों से अवैध रूप से 2,110.97 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जुटाई। एक डिजिटल मैपिंग प्रणाली तथा **कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ में फैले व्यापक रेफरल नेटवर्क** का व्यवस्थित रूप से उपयोग स्वतंत्र सलाहकारों के माध्यम से पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए किया गया, जिन्हें पूंजी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए रेफरल प्रतिशत (0.5%) के रूप में भुगतान किया जाता था।

पीएमएलए के अंतर्गत जांच के दौरान यह सामने आया कि एम/एस शिवम एसोसिएट्स ने एक अस्थिर पोंजी-शैली योजना संचालित की, जिसके तहत निवेशकों से 2,110.97 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जबकि पुनर्भुगतान के रूप में केवल एक अंश राशि का ही लेखा प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी सामने आया कि फर्म को वर्ष 2019 से ही शेयर बाजार में गंभीर एवं लगातार बढ़ते घाटे का सामना करना पड़ा। इन कमियों को छिपाने और बाजार में अपनी साख बनाए रखने के प्रयास में, बाद के निवेशकों से एकत्र की गई नई मूलधन राशि को सीधे पूर्ववर्ती निवेशकों के ब्याज दायित्वों को पूरा करने के लिए डायवर्ट किया गया। **तरल धनराशि को विभिन्न व्यक्तिगत खातों, परिवार के सदस्यों तथा संबद्ध संस्थाओं, जिनमें शिवम सेवा (ओपीसी) प्रा. लि. और शिवम प्रोडक्शंस शामिल हैं, के माध्यम से तेजी से लेयरिंग एवं इंटीग्रेशन किया गया। अवैध पूंजी का आगे उपयोग व्यक्तिगत लग्जरी वाहनों के अधिग्रहण, उच्च-मूल्य वाले बंगलों के निर्माण, नाममात्र के साझेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदने तथा फिल्मों के निर्माण में व्यय को भेजने के लिए किया गया।** परिणामस्वरूप, गबन की गई धनराशि को पीएमएलए के अंतर्गत "अपराध से अर्जित आय" के रूप में चिन्हित किया गया है तथा शेष देनदारियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

मामले में आगे की जांच जारी है।